

19.7.22 प्रतापली पेशा हुई। वनोत्पन्न प्रकृशासन अनुपासित
वादी व वादी वनोत्पन्न एवं प्रोत्साहितों को न्यायलय
समस्त तन्त्र ब्याज-बाज भावाज लगावाइ गई। लेकिन
कोई उपासित नहीं हुए और नही वादी वनोत्पन्न
द्वारा प्रमाणित अवसर दिने जाने पर भी प्रोत्साहितों
को तामील हेतु तलवाना मोटिस पेश नहीं किया
गये हैं।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 रा-रो-रो
प्रमाणित अवसर दिने जाने पर भी प्रोत्साहितों को
तामील हेतु तलवाना मोटिस पेश नहीं करने को
होभाव में अन्तर्गत आदेश 09 विषय 05 को तहत लोपर
किया जाता है। प्रतापली नोसल सुमार होकर नम्बर
से न्याय होकर दाखिलदफ्तर हो किर्गि खुले
न्यायलय में सुमाया गया

उपरत उड अधिकारी
साँबर लेक

